न्यायालय जिला कलक्टर नागौर

तारीख हुक्म	म्यूटेशन अपील सं. 184/22 रामेश्वरलाल vs विमलेश उर्फ विमलादेवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
16/11/22	वकुलाय उपस्थित। अपीलांट ने धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत ग्राम खेडूली का तहसीलदार मेड़ता के आदेश कमांक–भू.अ./206 दिनांक 06.05.2022 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या–4 की ओर से राजपैरोकार व रेस्पोडेन्ट–1 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल खोजा द्वारा कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 विमलेश ने द्वारा तहसीलदार जी मेड़ता के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 06.05.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह स्व0 श्री मदनलाल जी के पुत्र स्व0 बाबूलाल की पत्नी है। मदनलाल जी, बाबूलाल जी एवं उसकी सास स्व0 परमेश्वरी का स्वर्गवास हो चुका है। स्व0 श्री मदनलाल जी के वारिस रामेश्वरलाल, रामरतन, भगवती व स्व0 बाबूलाल की वह स्वंय पत्नी है। स्व0 मदनलाल जी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 65, 467, 471, 649, 653 कुल रकबा 10.26 हैक्टयर ग्राम खेडूली की सरहद में आये हुए है जिन पर मदनलाल जी के उक्त वारिसान का काश्त कब्जा होना अवगत कराते हुए उपर्युक्त खेत खसरान में स्व0 मदनलाल जी के स्थान पर उनके उक्त वारिसान के नाम दर्ज कर म्यूटेशन भरने का निवेदन किया, जिस तहसीलदार जी मेड़ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पृष्ठांक पत्रांक–भू.अ./206 दिनांक 06.05.2022 से पटवारी खेडूली को नियमानुसार कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश किसी भी पक्षकार के विरूद्ध नहीं है, केवल नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील चलने योग्य नहीं है। इसके अलावा उक्त निर्देश की पालना में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार पटवारी खेडूली द्वारा ग्राम खेडूली नामान्तकरण संख्या–998 भरा गया एवं भू अभिलेख निरीक्षक रेण की जॉच उपरान्त तहसीलदार जी मेड़ता द्वारा उक्त नामान्तकरण दिनांक 17.05.2022 को स्वीकृत भी किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में भी अब उक्त आदेश/निर्देश जैर अपील दिनांक 06.05.2022 को कोई औचित्य नहीं रहा है। इसके अलावा उक्त नामान्तकरण स्वकृति आदेश दिनांक 17.05.2022 के विरूद्ध अपीलान्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या–173/2022 रामेश्वरलाल बनाम विमलेश उर्फ विमलादेवी वगैरह में आज बहस अंतिम सुनी जाकर आदेश हेतु नियत होने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील इस स्टेज पर खारिज करने का निवेदन किया है। वकील अपीलान्ट श्री डूंगरराम चौधरी ने कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मेरिट पर सुनवाई कर निर्णय पारित करने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 व 3 की ओर से वकील श्री धन्नाराम चौधरी ने भी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मेरिट पर सुनवाई का निर्णय पारित करने पर उन्हे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता द्वारा आदेश/निर्देश जैर अपील दिनांक 06.05.2022 से पटवारी खेडूली को नियमानुसार कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश किसी भी पक्षकार के विरूद्ध नहीं है, केवल नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश है। इसके अलावा इसके अलावा उक्त निर्देश की पालना में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार पटवारी खेडूली द्वारा ग्राम खेडूली नामान्तकरण संख्या–998 भरा गया एवं भू अभिलेख निरीक्षक रेण की जॉच उपरान्त तहसीलदार जी मेड़ता द्वारा उक्त नामान्तकरण दिनांक 17.05.2022 को स्वीकृत भी किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 173/2022 में आज बहस भी सुनी जा चुकी है। इस प्रकार हस्तगत अपील का कोई औचित्य नहीं रहने के आधार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता को पालनार्थ भिजवाई जावे। (पीयुष समारिया) जिला कलक्टर, नागौर कलक्टर नागौर	